

द्वितीय

(गैर-विधायी कार्य)

विनियम

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/1691

12 जुलाई 2021

**यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II में संशोधन करना
जैविक उत्पादन में ऑपरेटरो के लिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के संबंध में**

(ईईए प्रासंगिकता वाला पाठ)

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि को ध्यान में रखते हुए,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और परिषद के 30 मई 2018 के विनियमन (ईयू) 2018/848 को ध्यान में रखते हुए और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 को निरस्त करते हुए (1), और विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 34(8),

जबकि:

- (1) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध II में कुछ विशिष्ट उत्पादन नियमों से संबंधित अभिलेख रखने के लिए कुछ आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं। अभिलेख ट्रेसेबिलिटी उद्देश्यों, आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण और उस अनुबंध में निर्धारित विस्तृत जैविक उत्पादन नियमों के अनुपालन के आकलन के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।
- (2) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 9(10), बिंदु (सी), अनुच्छेद 34(5) और अनुच्छेद 39(1) बिंदु (ए) में निर्धारित रिकॉर्ड रखने के प्रावधानों के बावजूद, उस विनियमन के अनुबंध II के विभिन्न भागों द्वारा कवर किए गए प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में न्यूनतम रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं को और विस्तार से बताना आवश्यक है।
- (3) रिकॉर्डकीपिंग के लिए एकत्रित और सामंजस्यपूर्ण आधार सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशिष्ट तत्वों को शामिल करना भी आवश्यक है, जिसे ऑपरेटरो को जैविक उत्पादन नियमों के प्रभावी अनुप्रयोग का प्रमाण प्रदान करने की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- (4) इस विनियमन द्वारा किए गए संशोधन अन्य संघीय अधिनियमों, जैसे कि खाद्य एवं खाद्य सुरक्षा, चारा एवं चारा सुरक्षा, पशु स्वास्थ्य एवं कल्याण, पादप स्वास्थ्य, पौध संरक्षण और पादप प्रजनन सामग्री, में निर्धारित अभिलेख-रखरखाव आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। इसलिए, विनियमन (ईयू) 2018/848 के प्रयोजनों के लिए, केवल वे पूरक तत्व जो जैविक उत्पादन नियमों के अनुपालन के सत्यापन की अनुमति देते हैं, उन संचालकों द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए जो पहले से ही अन्य संघीय अधिनियमों के तहत अभिलेख-रखरखाव आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, उन्हें दोहराने की आवश्यकता के बिना। फिर भी, इस विनियमन द्वारा संशोधित विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध II में कुछ अभिलेख-रखरखाव आवश्यकताओं को दोहराया गया है, क्योंकि वे तीसरे देशों के संचालकों के लिए प्रासंगिक हैं।
- (5) पादप उत्पादन नियमों के संबंध में, उर्वरकों और मृदा कंडीशनरों के उपयोग पर डेटा रिकॉर्ड करने के प्रयोजनार्थ, यह आवश्यक है कि कुछ अनुप्रयोग मापदंडों को शामिल किया जाए, क्योंकि जैविक उत्पादन में उर्वरकों का उपयोग मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें तब ध्यान में रखा जाना चाहिए जब कृषि संबंधी उपाय पौधों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हों।

(1) ओजे एल 150, 14.6.2018, पृ. 1.

- (6) पादप संरक्षण उत्पादों और सफाई एवं कीटाणुशोधन उत्पादों, जैसे कि जैवनाशी और डिटरजेंट, का उपयोग जैविक उत्पादन में प्रतिबंधों के अधीन है और केवल उन मामलों तक सीमित है जहाँ निवारक उपायों से कीटों और रोगों की घटना और प्रसार में बाधा नहीं आई, और सभी मामलों में विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 24 के अनुसार अनुमोदित उत्पादों और पदार्थों तक। विनियम (ईसी) संख्या 1107/2009 में निर्धारित अभिलेख-रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (2) और (ईसी) संख्या 852/2004 (यूरोपीय संसद और परिषद के अनुसार, यह आवश्यक है कि संचालक पौध संरक्षण उत्पाद, जैवनाशी या डिटरजेंट का उपयोग करते समय विस्तृत अनुप्रयोग शर्तों को रिकॉर्ड करें, ताकि, जहाँ प्रासंगिक हो, लागू प्रतिबंधों के अनुपालन, अनुशासित आवृत्ति और पूर्व-कटाई अवधि के सम्मान को प्रदर्शित किया जा सके।
- (7) चूँकि भूमि के टुकड़ों की विशेषताएँ अलग-अलग हो सकती हैं और उनमें अलग-अलग फसले उगाई जा सकती हैं, इसलिए कृषि संबंधी परिस्थितियाँ भी भिन्न हो सकती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब बाहरी इनपुट का उपयोग किया जाता है, तो उनका उपयोग अलग-अलग पारसल में अलग-अलग होता है। इसलिए, बाहरी इनपुट को उस पारसल के संबंध में दर्ज किया जाना चाहिए जहाँ इनपुट का उपयोग किया जाता है ताकि संचालक प्रभावकारिता की निगरानी कर सके और ट्रेसिबिलिटी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रिकॉर्ड प्रदान कर सके, और जहाँ प्रासंगिक हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध II के भाग I के बिंदु 1.8.5 के अनुसार प्राप्त संयंत्र उत्पादन नियमों से किसी भी छूट से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सके।
- (8) जंगली पौधों और उनके उत्पादों को इकट्ठा करते समय, ऑपरेटरो से संबंधित प्रजातियों और विशिष्ट प्राकृतिक आवास में संग्रह की मात्रा और अवधि का रिकॉर्ड रखने की अपेक्षा करना आवश्यक है ताकि प्राकृतिक आवास की शर्तों के अनुपालन का पता लगाने और सत्यापन की अनुमति मिल सके।
- (9) पशुधन उत्पादन नियमों के संबंध में, बिंदु 1.3.4.3 के तहत दिए गए नियमों से संभावित छूट को देखते हुए, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II के अनुच्छेद 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(सी) और 1.9.4.2(सी) के अनुसार, ऑपरेटरो को लागू शर्तों के अनुपालन की पहचान और नियंत्रण के लिए ऐसे अपवादों से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध रखने चाहिए।
- (10) यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईसी) संख्या 852/2004 और विनियमन (ईयू) 2016/429 की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (4), ऑपरेटरो को होल्डिंग में लाए गए पशुओं की उत्पत्ति और उनके प्रासंगिक पूर्व पशु चिकित्सा रिकॉर्ड पर विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित की जा सके और विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II और III में निर्धारित विशिष्ट शर्तों के अनुपालन को प्रदर्शित किया जा सके।
- (11) इसके अतिरिक्त, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II में पशुओं के विभिन्न समूहों के लिए निर्धारित प्रजातियों-विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं और प्रासंगिक पोषण नियमों के अनुपालन का दस्तावेजीकरण करने के लिए, ऑपरेटरो को भोजन व्यवस्था और चराई अवधि का विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए।
- (12) यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईसी) संख्या 852/2004 और (ईयू) 2016/429, विनियमन (ईसी) संख्या 1760/2000 में निर्धारित रिकॉर्ड-कीपिंग और पहचान आवश्यकताओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (5) और यूरोपीय संसद और परिषद के निर्देश 2001/82/ईसी (6), जैविक उत्पादन नियमों के तहत निर्धारित विशिष्ट सीमाओं को देखते हुए, पशु चिकित्सा उपचारों के रिकॉर्ड रखने और इमारतों, प्रतिष्ठानों और पशुओं की सफाई और कीटाणुशोधन के लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को निर्धारित करना उचित है ताकि ऑपरेटरो को सक्षम प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय को यह प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया जा सके कि संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, जबकि प्रभावकारिता और विशिष्ट निकासी अवधि के सम्मान को सत्यापित करने की अनुमति दी जा सके।
-
- (2) यूरोपीय संसद और परिषद के 21 अक्टूबर 2009 के विनियमन (ईसी) संख्या 1107/2009, जो पौध संरक्षण उत्पादों को बाजार में लाने और परिषद के निर्देश 79/117/ईईसी और 91/414/ईईसी को निरस्त करने से संबंधित है (ओजे एल 309, 24.11.2009, पृष्ठ 1)।
- (3) खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर यूरोपीय संसद और परिषद के 29 अप्रैल 2004 के विनियमन (ईसी) संख्या 852/2004 (ओजे एल 139, 30.4.2004, पृ. 1)।
- (4) यूरोपीय संसद और परिषद के 9 मार्च 2016 के विनियमन (ईयू) 2016/429 संक्रामक पशु रोगों पर और पशु स्वास्थ्य (पशु स्वास्थ्य कानून) के क्षेत्र में कुछ अधिनियमों को संशोधित और निरस्त करना (ओजे एल 84, 31.3.2016, पृष्ठ 1)।
- (5) यूरोपीय संसद और 17 जुलाई 2000 की परिषद के विनियमन (ईसी) संख्या 1760/2000, गोजातीय पशुओं की पहचान और पंजीकरण के लिए एक प्रणाली की स्थापना और गोमांस और गोमांस उत्पादों के लेबलिंग के संबंध में और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 820/97 (ओजे एल 204, 11.8.2000, पृष्ठ 1) को निरस्त करना।
- (6) पशु चिकित्सा औषधीय उत्पादों से संबंधित सामुदायिक संहिता पर यूरोपीय संसद और 6 नवंबर 2001 की परिषद का निर्देश 2001/82/EC (ओजे एल 311, 28.11.2001, पृ. 1)।

- (13) यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईसी) संख्या 178/2002 में निर्धारित ट्रेसिबिलिटी आवश्यकताओं के प्रति पूरवाग्रह के बिना (7), विभिन्न प्रजातियों के लिए रूपांतरण अवधि सहित जैविक उत्पादन नियमों के अनुपालन की पहचान और सत्यापन की अनुमति देने के लिए, यह आवश्यक है कि संचालक होल्डिंग में आने वाले या वहां से जाने वाले किसी भी जानवर का विस्तृत रिकॉर्ड रखे।
- (14) मुरगीपालन के लिए आवास और पालन-पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अलावा, कुछ पालन प्रणालियों पर खालीपन की अवधि के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताएँ लागू होती हैं। उचित निगरानी के लिए संबंधित दस्तावेज़ी साक्ष्य रखे जाने चाहिए।
- (15) उन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन केन्द्रों की स्थिति की प्रासंगिकता को देखते हुए, जहां जैविक रूप से उत्पादित फसलों या प्राकृतिक रूप से अदूषित क्षेत्रों या कम पर्यावरणीय प्रभाव विधियों के तहत फसलों से रस और पराग की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि मधुमक्खी पालन केन्द्रों को किसी भी प्रकार के संदूषण से बचाया जा सके, यह आवश्यक है कि संचालक उपयोग किए गए क्षेत्रों का मानचित्र रखे और साथ ही उपयोग किए गए किसी भी बाहरी इनपुट और मधुमक्खी के छतों पर किए गए कार्यों का रिकॉर्ड भी रखे।
- (16) जलीय कृषि पशुओं के लिए उत्पादन नियमों के संबंध में, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग III के बिंदु 3.1.2.1 (डी) और (ई) के तहत दिए गए नियमों से संभावित छूट के मद्देनजर, ऑपरेटर्स को लागू शर्तों के अनुपालन की निगरानी और नियंत्रण के लिए ऐसी छूट से संबंधित दस्तावेज़ी साक्ष्य रखना चाहिए।
- (17) विशेष रूप से, बाहरी इनपुट का उपयोग विनियमन (ईयू) 2018/848 के तहत प्रतिबंधों के अधीन है और इसे जैविक शैवाल उत्पादन में प्रयुक्त उर्वरकों या पोषक तत्वों की तरह ही दर्ज किया जाना चाहिए, जिनका उपयोग केवल उस विनियमन के अनुच्छेद 24 के अनुसार अधिकृत होने पर ही किया जा सकता है और जो केवल इनडोर सुविधाओं तक सीमित है और कुछ शर्तों के तहत ही लागू किए जा सकते हैं। इसलिए, ऑपरेटर्स को लागू शर्तों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे उपयोगों को दर्ज करना चाहिए।
- (18) प्रजनन और आगे बढ़ने के प्रयोजनों के लिए किशोरों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के संबंध में रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताएं निर्धारित करना भी आवश्यक है, विशेष रूप से पशुओं के उत्पादन चक्र के दौरान उनकी उपस्थिति के सटीक समय और रूपांतरण की प्रारंभिक अवधि के संबंध में।
- (19) जलीय कृषि पशुओं की आहार व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है विकास के विभिन्न चरणों के आंकड़ों के साथ, अधिकृत आहार सामग्री पर विस्तृत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें गैर-जैविक मूल से प्राप्त आहार भी शामिल है, प्रत्येक संबंधित प्रजाति के लिए आहार व्यवस्था का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
- (20) जलीय कृषि पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल, पशुओं की भलाई की रोकथाम और निगरानी पर आधारित है। इसलिए, पशु चिकित्सा उपचारों के उपयोग को यथासंभव सीमित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, जो संबंधित प्रजातियों के जीवन चक्र की अवधि के आधार पर आवृत्ति और संख्या के संदर्भ में सख्त सीमाओं के अधीन है। संबंधित रिकॉर्ड-कीपिंग आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
- (21) उचित पशुपालन पद्धतियाँ पशुओं के कल्याण का निर्धारण करती हैं। जलकृषि के संदर्भ में, जल की गुणवत्ता, भंडारण घनत्व की सीमाएँ और संबंधित रासायनिक-भौतिक मानदंड पशु कल्याण के लिए मूलभूत हैं। इसलिए, ऐसे आँकड़ों के साथ-साथ जलकृषि पशुओं के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियों को बनाए रखने और उन पशुओं के विकास के विभिन्न चरणों में जैविक उत्पादन नियमों का पालन करने के लिए किए गए उपायों की निगरानी के लिए किए गए हस्तक्षेपों के प्रकार और समय का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। जैविक जलकृषि में, वातन के उपयोग की अनुमति है, लेकिन ऑक्सीजन का उपयोग विशिष्ट मामलों तक ही सीमित है। इसलिए, इस प्रकार के हस्तक्षेपों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
- (22) विनियमन (ईसी) संख्या 852/2004 के तहत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के प्रति पूरवाग्रह के बिना, जैविक प्रसंस्कृत खाद्य और/या जैविक प्रसंस्कृत फ़ीड का उत्पादन करने वाले ऑपरेटर्स को जैविक उत्पादन नियमों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए, विशेष रूप से जैविक उत्पादों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपायों के संबंध में, बाहरी इनपुट और सफाई और कीटाणुशोधन उत्पादों के उपयोग के लिए विशिष्ट शर्तें।

(7) यूरोपीय संसद और 28 जनवरी 2002 की परिषद का विनियमन (ईसी) संख्या 178/2002, जिसमें खाद्य कानून के सामान्य सिद्धांतों और आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है, यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई है और खाद्य सुरक्षा के मामलों में प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं (ओजे एल 31, 1.2.2002, पृष्ठ 1)।

इसके अलावा, इनपुट और आउटपुट संतुलन के उचित सत्यापन की अनुमति देने के लिए, ऑपरेटरो को उपयोग किए गए इनपुट पर उपलब्ध डेटा रखना चाहिए और मिश्रित उत्पादों के मामले में, पूर्ण व्यंजनों/सूत्रों के साथ-साथ, जहां लागू हो, विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 25 के अनुसार गैर-जैविक कृषि सामग्री के उपयोग के लिए प्राधिकरण पर दस्तावेजी साक्ष्य।

- (23) विनियमन (ईसी) संख्या 852/2004 के तहत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जैविक वाइन का उत्पादन करने वाले ऑपरेटरो को जैविक उत्पादन नियमों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए, विशेष रूप से वाइन उत्पादन में और सफाई और कीटाणुशोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी बाहरी उत्पाद और पदार्थ के संबंध में।
- (24) विनियमन (ईसी) संख्या 852/2004 के तहत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जैविक खमीर का उत्पादन करने वाले ऑपरेटरो को जैविक उत्पादन नियमों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए, विशेष रूप से खमीर उत्पादन में और सफाई और कीटाणुशोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और पदार्थों के संबंध में।
- (25) इसलिए विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।
- (26) स्पष्टता और कानूनी निश्चितता के हित में, यह विनियमन विनियमन (ईयू) 2018/848 के लागू होने की तिथि से लागू होना चाहिए,

इस विनियमन को अपनाया गया है:

अनुच्छेद 1

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुबंध II को इस विनियमन के अनुबंध के अनुसार संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद 2

यह विनियमन इसके प्रकाशन के अगले बीसवें दिन से लागू होगा। यूरोपीय संघ का आधिकारिक रोज़नामचा।

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

यह विनियमन सम्पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा सभी सदस्य राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होगा।

12 जुलाई 2021 को ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ।

आयोग के लिए
अध्यक्ष
उरसुला वॉन डेर लेयेन

उपभवन

विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

1. भाग I में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

(क) बिंदु 1.9.3 में, दूसरे वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'ऑपरेटरो को उन उत्पादों के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें प्रत्येक उत्पाद के उपयोग की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, प्रयुक्त मात्रा तथा संबंधित फसल और पारसल शामिल होंगे।'

(ख) बिंदु 1.10.2 में, दूसरे वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'प्रचालको को ऐसे उत्पादों के उपयोग की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले अभिलेख रखने होंगे, जिनमें प्रत्येक उत्पाद के उपयोग की तिथि या तिथियां, उत्पाद का नाम, उसके सक्रिय पदार्थ, प्रयुक्त मात्रा, संबंधित फसल और पारसल, तथा नियंत्रित किए जाने वाले कीट या रोग शामिल होंगे।'

(ग) बिंदु 1.11 में, निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है:

'ऑपरेटरो को उन उत्पादों के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें प्रत्येक उत्पाद के उपयोग की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, उसके सक्रिय पदार्थ और ऐसे उपयोग का स्थान शामिल होगा।'

(घ) बिंदु 1.12 में, निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है:

'विशेष रूप से, ऑपरेटरो को प्रत्येक पारसल पर उपयोग किए गए किसी भी अन्य बाहरी इनपुट का रिकॉर्ड रखना होगा और जहां लागू हो, बिंदु 1.8.5 के अनुसार प्राप्त उत्पादन नियमों से किसी भी छूट पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य रखना होगा।'

(ई) बिंदु 2.2 में, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा गया है:

'संचालको को संग्रहण की अवधि और स्थान, संबंधित प्रजातियों और एकत्रित जंगली पौधों की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा।'

2. भाग II में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

(क) बिंदु 1.1 में, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा गया है:

'ऑपरेटरो को बिंदु 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(सी) और 1.9.4.2(सी) के अनुसार प्राप्त पशुधन उत्पादन नियमों से किसी भी छूट पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य रखना होगा।'

(ख) निम्नलिखित बिन्दु 1.3.4.5 जोड़ा जाता है:

'1.3.4.5. संचालक पशुओं की उत्पत्ति का रिकॉर्ड या दस्तावेजी साक्ष्य रखेंगे, जिसमें पशुओं की पहचान की जाएगी उचित प्रणालियों (प्रति पशु या बैच/झुंड/छत्ते द्वारा) के अनुसार, होल्डिंग में पेश किए गए पशुओं के पशु चिकित्सा रिकॉर्ड, आगमन की तारीख और रूपांतरण अवधि।'

(ग) निम्नलिखित बिन्दु 1.4.4 जोड़ा जाता है:

'1.4.4. भोजन व्यवस्था का रिकॉर्ड रखना

संचालको को आहार व्यवस्था और, जहाँ प्रासंगिक हो, चराई अवधि का रिकॉर्ड रखना होगा। विशेष रूप से, उन्हें चारे के नाम का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें प्रयुक्त चारे का कोई भी रूप शामिल होगा, जैसे मिश्रित चारा, राशन की विभिन्न आहार सामग्री का अनुपात और उनके अपने खेत या उसी क्षेत्र से प्राप्त चारे का अनुपात, और जहाँ प्रासंगिक हो, चराई क्षेत्रों तक पहुँच की अवधि, जहाँ प्रतिबंध लागू हों वहाँ मानव-स्थानांतरण की अवधि और बिंदु 1.4.2 और 1.4.3 के अनुप्रयोग के दस्तावेजी साक्ष्य।'

(घ) बिंदु 1.5.1.6 में, निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है:

'ऑपरेटरो को उन उत्पादों के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें उत्पाद के उपयोग की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, उसके सक्रिय पदार्थ और ऐसे उपयोग का स्थान शामिल होगा।'

(ई) निम्नलिखित बिंदु 1.5.2.7. जोड़ा जाता है:

'1.5.2.7. संचालकों को लागू किए गए किसी भी उपचार का रिकॉर्ड या दस्तावेजी साक्ष्य रखना होगा, विशेष रूप से, उपचारित पशुओं की पहचान, उपचार की तिथि, निदान, पोसोलॉजी, उपचार उत्पाद का नाम और, जहाँ लागू हो, पशु चिकित्सा देखभाल के लिए पशु चिकित्सा नुस्खा, और पशुधन उत्पादों को विपणन करने और जैविक के रूप में लेबल करने से पहले लागू की गई वापसी अवधि।'

(च) निम्नलिखित बिन्दु 1.7.12 जोड़ा जाता है:

'1.7.12. ऑपरेटर किसी भी विशिष्ट ऑपरेशन और औचित्य के रिकॉर्ड या दस्तावेजी साक्ष्य रखेंगे बिंदु 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 या 1.7.10 के अनुप्रयोग के लिए। जहाँ तक पशुओं के बाड़े से निकलने का संबंध है, निम्नलिखित आँकड़े, जहाँ प्रासंगिक हों, दर्ज किए जाएंगे: आयु, पशुओं की संख्या, वध किए जाने वाले पशुओं का वजन, उपयुक्त पहचान (प्रति पशु या बैच/झुंड/छत्ते के अनुसार), प्रस्थान की तिथि और गंतव्य।'

(छ) बिंदु 1.9.4.4 में, बिंदु (सी) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

(ग) प्रत्येक मुरगीपालन के बाद भवन से पशुधन हटा दिया जाएगा। भवन और इस दौरान फिटिंग्स को साफ और कीटाणुरहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब प्रत्येक बैच के पोल्ट्री का पालन-पोषण पूरा हो जाए, तो सदस्य राज्यों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान रन को खाली छोड़ दिया जाएगा ताकि वनस्पति फिर से उग सके। संचालक ऐसी अवधि के आवेदन का रिकॉर्ड या दस्तावेजी साक्ष्य रखेंगे। ये आवश्यकताएँ उन जगहों पर लागू नहीं होंगी जहाँ पोल्ट्री को बैचों में नहीं पाला जाता है, रन में नहीं रखा जाता है और वे दिन भर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं;';

(ज) निम्नलिखित बिन्दु 1.9.6.6 जोड़ा जाता है:

'1.9.6.6. रिकॉर्ड रखने के दायित्व

संचालकों को छत्तों के स्थान का उचित पैमाने या भौगोलिक निर्देशांक पर एक मानचित्र रखना होगा, जिसे नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय को उपलब्ध कराना होगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि कॉलोनियों तक पहुंच योग्य क्षेत्र इस विनियमन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

भोजन के संबंध में मधुमक्खी पालन केंद्र के रजिस्टर में निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाएगी: उपयोग किए गए उत्पाद का नाम, तिथियाँ, मात्रा और वे छत्ते जहाँ उत्पाद का उपयोग किया जाता है।

वह क्षेत्र जहाँ मधुमक्खी पालन केंद्र स्थित है, छत्तों की पहचान तथा स्थानांतरण की अवधि के साथ दर्ज किया जाएगा।

सभी लागू उपायों को मधुमक्खी पालन केंद्र के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसमें सुपरस को हटाना और शहद निकालने की प्रक्रिया भी शामिल है। शहद के संग्रह की मात्रा और तारीखें भी दर्ज की जाएंगी।'

3. भाग III में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

(क) निम्नलिखित बिन्दु 1.11 जोड़ा जाता है:

'1.11. ऑपरेटरों को उत्पादन नियमों से किसी भी प्रकार की छूट के संबंध में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अपने पास रखने होंगे। बिंदु 3.1.2.1(डी) और (ई) के अनुसार प्राप्त जलीय कृषि पशु।'

(ख) बिन्दु 2.2.2(ग) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है:

'ऑपरेटरों को उन उत्पादों के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें प्रत्येक उत्पाद के उपयोग की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, और प्रयुक्त मात्रा, तथा संबंधित लॉट/टैक/बेसिन की जानकारी शामिल होगी।'

(ग) बिंदु 2.3.2 में, निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है:

'ऑपरेटरों को उन उत्पादों के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें उत्पाद के उपयोग की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, तथा संबंधित लॉट/टैक/बेसिन की जानकारी के साथ प्रयुक्त मात्रा शामिल होगी।'

(घ) निम्नलिखित बिन्दु 3.1.2.4 जोड़ा जाता है:

3.1.2.4. संचालक पशुओं की उत्पत्ति, पशुओं/पशुओं के समूहों की पहचान, उत्पादन की तिथि आदि का रिकॉर्ड रखेंगे। प्रजातियों के आगमन और प्रकार, मात्रा, जैविक या अजैविक स्थिति और रूपांतरण अवधि।'

(ई) निम्नलिखित बिंदु 3.1.3.5 जोड़ा जाता है:

3.1.3.5. संचालकों को विशिष्ट फीडिंग व्यवस्थाओं का रिकॉर्ड रखना होगा, विशेष रूप से, फीड के नाम और मात्रा का। और अतिरिक्त चारे का उपयोग, तथा खिलाए गए संबंधित पशु/पशुओं के समूह।'

(च) निम्नलिखित बिंदु 3.1.4.3 जोड़ा जाता है:

'3.1.4.3. रोग निवारण का रिकॉर्ड रखना

संचालकों को रोग निवारण उपायों का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें परती भूमि, सफाई और जल उपचार का विवरण, तथा किसी भी पशुचिकित्सा और अन्य परजीवी उपचार का विवरण, विशेष रूप से, उपचार की तिथि, निदान, पोसोलॉजी, उपचार उत्पाद का नाम, और पशुचिकित्सा देखभाल के लिए पशुचिकित्सा नुस्खा, जहां लागू हो, तथा जलीय कृषि उत्पादों को विपणन करने और जैविक के रूप में लेबल करने से पहले लागू की गई वापसी अवधि का विवरण देना होगा।'

(छ) बिंदु 3.1.5.3 में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा गया है:

'संचालकों को पशु कल्याण और जल गुणवत्ता से संबंधित निगरानी और रखरखाव उपायों का रिकॉर्ड रखना होगा। तालाबों और झीलों में उर्वरक डालने के मामले में, संचालकों को उर्वरकों और मृदा कंडीशनरों के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें उपयोग की तिथि, उत्पाद का नाम, उपयोग की गई मात्रा और संबंधित उपयोग का स्थान शामिल होगा।'

(ज) बिंदु 3.1.6.5 में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा गया है:

'ऑपरेटर ऐसे उपयोगों का रिकॉर्ड रखेंगे, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि क्या उनका प्रयोग बिंदु (ए) (बी) या (सी) के तहत किया गया है।'

4. भाग IV में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

(क) बिंदु 1.4 में, बिंदु (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'(क) एहतियाती उपाय करना और उन उपायों का रिकॉर्ड रखना;''

(ख) निम्नलिखित बिंदु 1.7 जोड़ा जाता है:

'1.7. संचालकों को गैर-जैविक कृषि उत्पादों के उपयोग के लिए प्राधिकरणों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य रखने होंगे। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रसंस्कृत जैविक खाद्य के उत्पादन के लिए सामग्री, यदि उन्होंने ऐसे प्राधिकरण प्राप्त किए हैं या उनका उपयोग किया है।'

(ग) बिंदु 2.2.3 में, निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है:

'ऑपरेटरों को उन उत्पादों के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें प्रत्येक उत्पाद के उपयोग की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, उसके सक्रिय पदार्थ और ऐसे उपयोग का स्थान शामिल होगा।'

(घ) निम्नलिखित बिंदु 2.3 जोड़ा जाता है:

2.3. संचालकों को खाद्य उत्पादन में प्रयुक्त किसी भी इनपुट का रिकॉर्ड रखना होगा। मिश्रित खाद्य उत्पादन के मामले में, उत्पादों, इनपुट और आउटपुट की मात्रा को दर्शाने वाले पूर्ण नुस्खे/सूत्र सक्षम प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय के लिए उपलब्ध रखे जाएंगे।'

5. भाग V में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

(क) बिंदु 1.4 में, बिंदु (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

'(क) एहतियाती उपाय करना और उन उपायों का रिकॉर्ड रखना;''

(ख) बिंदु 2.4 में, निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है:

'ऑपरेटरों को उन उत्पादों के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें प्रत्येक उत्पाद के उपयोग की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, उसके सक्रिय पदार्थ और ऐसे उपयोग का स्थान शामिल होगा।'

(ग) निम्नलिखित बिंदु 2.5 जोड़ा जाता है:

2.5. संचालकों को फीड उत्पादन में प्रयुक्त किसी भी इनपुट का रिकॉर्ड रखना होगा। मिश्रित फीड उत्पादन के मामले में, उत्पादों, इनपुट और आउटपुट की मात्रा को दर्शाने वाले पूर्ण नुस्खे/सूत्र सक्षम प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय के लिए उपलब्ध रखे जाएंगे।'

6. भाग VI में निम्नलिखित बिन्दु 2.3 जोड़ा जाता है:

2.3. संचालकों को वाइन उत्पादन और सफाई में उपयोग किए जाने वाले किसी भी उत्पाद और पदार्थ के उपयोग का रिकॉर्ड रखना होगा। और कीटाणुशोधन, जिसमें प्रत्येक उत्पाद का उपयोग करने की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, उसके सक्रिय पदार्थ और जहां लागू हो, ऐसे उपयोग का स्थान शामिल है।'

7. भाग VII में निम्नलिखित बिंदु 1.5 जोड़ा जाता है:

'1.5. संचालकों को खमीर उत्पादन और सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उत्पाद और पदार्थ का रिकॉर्ड रखना होगा। कीटाणुशोधन, जिसमें प्रत्येक उत्पाद के उपयोग की तारीख या तारीखें, उत्पाद का नाम, उसके सक्रिय पदार्थ और ऐसे उपयोग का स्थान शामिल है।'
